

कार्यवाही

शुद्धि, प्रारंभिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्रशिष्य/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक-09/08/2021

कार्यवाही शीर्षक:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यान्वित ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यवाही में सम्बद्धता समिति की बैठक संयोज हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्जोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता, पूर्व से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम- प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता, सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंतिम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4436-KASHINATH INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SANAND NAGAR, POST BAKIPIHURD, GHAZIPUR

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
6	TEXTILE ENGINEERING	30	30
7	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	30	30
8	INFORMATION TECHNOLOGY	15	15

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्रारंभिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य विनियम नियमों एवं अर्जों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों हेतु पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों कार्यालयी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र छात्र से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त-समय पर पालन द्वारा निरत किये जाने वाले फाल-नोटिस प्रपत्रों होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कीम निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (2020) प्रारंभिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवली-2000 की शर्तों

का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्थ में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्थ को समय-समय पर निर्गत शासन-सेवा के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सूचक जमा करना होगा।
- ✓ संस्थ को १०-आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अग्रणी स्तर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्थ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविषयों/अधिविषयों/शासन-सेवा/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०१००, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०१०० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०१०० द्वारा बनाये गये नियमों, विधियों, अदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये काम्य होगी।
- ✓ द्विप्रेषणा इन कार्यवाही पारदर्शक की संस्था यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उपलब्धित संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्थ स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई काद टापर किया जाता है उक्त टापर काद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ द्विप्रेषणा इन कार्यवाही पारदर्शक संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लक्ष्मण द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्याभित्ति प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हे प्रवेश की (कार्याभित्ति के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्थ को अपने वेबसाइट पर संस्थ की समस्त सूचनाएं जैसे संस्थ की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्तर, स्नात-स्नात, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सूचक, आवागमन सूचक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्थ को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साठारण उपलब्ध बनाने के साथ पैगिंग टोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्थ यह सुनिश्चित हो ले कि संस्थ में परस्तातित संघालित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अधिदेश, भूमि-भवन, कर्मचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्थ द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्थ उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उक्तगत संस्थ की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्थ के स्थायी निरीक्षण दौरान यदि संस्थ में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य स्नात-स्नात १०-आई०सी०टी०ई० पी०सी०आई०-परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्थ की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निदेशानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पुनसं- प्राथमिक-परिषद सम्बद्धता-2021/3538-4869

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिष्ठित-

प्रधानाचार्य/निदेशक: KASHINATH INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SANAND NAGAR, POST BAKIKHURD, GHAZIPUR


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यक्रम

शैक्षणिक, पत्रिकात्मिक शिक्षण परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- शैक्षणिक/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

दिनांक: दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय लखनऊ

प्रतिष्ठित उत्तरांचल तकनीकी शिक्षण परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालयिक और दृष्टिक, नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2022-23 हेतु विद्यमान शैक्षणिक वर्षाधीन शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन पत्रिका किये जाने के उपरान्त पत्रिकात्मिक शिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश में सम्बद्धता सम्बद्धता विचार पत्रिका किये जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विचार/पदपत्रकन- प्रवेश सम्पन्न वृद्धि शैक्षणिक अर्थ पर विचार करने हेतु वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विचार पत्रिका किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निर्णय लगे निर्णय के अनुक्रम में विद्यमान संस्था को पत्रिकात्मिक शिक्षण परिषद, 30/08/2022 द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु विद्यमान शैक्षणिक वर्ष के अंतर्गत पदपत्रकन एवं उसने अधिक प्रवेश सम्पन्न हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विचार पत्रिका की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4436-KASHINATH INSTITUTE OF TECHNOLOGY

क्र.सं.	पदपत्रकन का नाम	ए0अनुमोदनी0दो0दो0/बी0बी0अनु0 द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
6	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	30	30
7	INFORMATION TECHNOLOGY	15	15
8	TEXTILE ENGINEERING	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0अनुमोदनी0दो0दो0/बी0बी0अनु0 द्वारा निर्धारित की शर्तें सभी शर्तें का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश पत्रिकात्मिक शिक्षण परिषद एक्ट 1962 तथा पत्रिकात्मिक शिक्षण परिषद विनियमनकी 1992, विनियमनकी 2000, संशोधित विनियमनकी 2016 तथा उत्तर-उत्तर पर निर्मित संसाधनों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षों के लिए पदपत्रकन हेतु ए0 20150.00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षों कार्यालयी पदपत्रकन हेतु ए0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षों पदपत्रकन (दो बर्षों कार्यालयी पदपत्रकन के अतिरिक्त) हेतु ए0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक वर्ष/वर्ष से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्य/कार्यों से शुल्क के सम्बन्ध में उत्तर-उत्तर पर शर्तें द्वारा निर्मित किये जाने वाले संसाधनों काभी होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शैक्षणिक समिति द्वारा यदि वर्ष 2022-23 हेतु शैक्षणिक का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शैक्षणिक की अधिसूचना दी जायगी होगी।



संस्था में संयुक्त प्रदेश पब्लिक परीक्षा द्वारा अर्जित करने को ही प्रदेश शिक्षा आयोग।

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्देश आयोग के अनुसार निर्देशन एवं सहायता मुक्त प्राप्त करना होगा।
- ✓ संस्थान द्वारा प्रदेश शासन द्वारा निर्देश विधिविधियों/प्रक्रियाओं/आयोगों/निदेशों एवं निर्देशन, कॉलेजिक शिक्षा, 2000, संयुक्त प्रदेश पब्लिक परीक्षा, 2000 तथा प्रक्रियािक शिक्षा परीक्षा, 2000 द्वारा जारी की गिवात, विविधता, अर्जतों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये ब्याप्तकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुसूचन मिलत किया जात है तो इस संबंध में समस्त प्रारंभिक संस्था का होत और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रक्रियािक शिक्षा परीक्षा, संयुक्त प्रदेश पब्लिक परीक्षा, प्रक्रियािक शिक्षा निर्देशनाय एवं प्रक्रियािक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई काट टापर किया जात है तथा टापर काट के संबंध में का. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रक्रियाि सवाही अर्थात् निर्देश किया जात है तो समस्त प्रक्रियाि संबंधित संस्था को बरती होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश पब्लिक परीक्षा, उत्तर प्रदेश महाविद्यालय प्रवेशक वर्ष प्रदेश हेतु अर्जित कार्यनिर्देश प्राप्त होने के पूर्व ए०आई०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुसूचन प्राप्त कर परीक्षा कार्यलय को उपलब्ध करना होगा अथवा उन्हें प्रदेश की (कार्यनिर्देश के माध्यम से प्रदेश पब्लिक के अन्तर्गत परीक्षा) अनुसूचि प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु समय-समय पर निर्देश लक्ष्यनाय आदेशन विद्यमान का अनुपालन करना ब्याप्तकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृथि सृष्टि, स्वरूप, शासक-शासन, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनक, छात्रसंख्या सुनक आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रवितान हेतु उपयुक्त साधनयन उपलब्ध बनाने के साथ दैगिग टैकनी के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित बरती होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रारंभिक संवर्धित पर्युषकन को चलाने जाने हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध ब्यापे सवे अधिदेश, अधि-आदेश, कार्यवा, उपकरण ट्रायटि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्युषकन के अन्वयन में प्रयोग किया जात है और परीक्षा को इसकी जम्बकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सम्बन्ध संस्था की सम्बन्धना समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिका उपरोक्त निर्देशन के दृष्टान्त यदि संस्था में अधि, अन्तर, प्रयोगसाल, उपकरण एवं अन्य सासक-शासन ए०आई०टी०ई०पी०सी०आई०/परीक्षा के सम्बन्धनाय उपलब्ध नहीं तथा जात है तो संस्था की सम्बन्धना समाप्त कर ली जायेगी।
- ✓ सम्बन्धना जारी का अनुपालन न किये जाने अथवा जारी का अनुपालन किये जाने की विषयि में निगमसुतर अनुसूचनमासक कार्यवाही की जायेगी।



(ए०आई०टी०ई०)

रक्षि

सूचना- कॉलेज/परीक्षा संख्या/2022/7818-8455

दिनांक: 30/06/2022

प्रातिनिधि-

संस्था/प्रातिनिधिक, KASHINATH INSTITUTE OF TECHNOLOGY



(ए०आई०टी०ई०)

रक्षि

- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद की मांग पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पू०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, KASHINATH INSTITUTE OF TECHNOLOGY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव